श्री राजूभाई ए. परमार: मैडम इसे भी साथ ले लीजिए। ...(व्यवधान)

उपसभापति: ठीक है,

Assistance Sought by Madhya Pradesh Government for Flood Vicitms

†*462. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Madhya Pradesh Government has urged the Prime Minister for early release of Rs. 200 crores to help the flood victims in the State;

(b) whether the State Government has submitted the detailed report regarding the damages caused by the floods; and

(c) if so, the details thereof and the total amount released including the details of the amount assured by Government in future to meet the demands of the State Government?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

Madhya Pradesh Government has submitted a memorandum seeking Central assistance of Rs. 200.00 crores to undertake relief activities in flood affected areas.

According to information received from the State Government based on preliminary assessment, 5736 villages spread over 24 districts have been affected resulting in loss of 89 lives and 2261 cattle. Damage also occurred to 2.17 lakh hectare of cropped area and 67199 houses.

In addition to the normal release of the first and second instalments of Central share of Calamity Relief Fund for the year 1994-95, Government of India have also released the third and fourth instalments amounting to Rs. 13.875 crores in advance in order to enable the State Government to undetake relief measures in the affected areas.

Floods due to Heavy Rains

*464. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR: † SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether torrential rains and heavy floods caused havoc in Rajkot and Junagarh districts and other parts of Gujarat and Kodagu and Kushalnagar areas of Karanataka this year, besides the perennial flood havoc in the North East;

(b)if so, what were the main flood affected areas in Maharashtra, Gujarat, Kamataka and in the North Eastern States;

(c) what was the extent of death and destruction caused in each State, distnctwise;

(d) what Central aid was given for immediate and long-term help to the victims; and

(e) how the figures of death, destruction and Central aids sought and given this year compare with corresponding figures for 1993-94 and 1992-93?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM): (a) to (e) A statement is laid on the Table of the Sabha. Statement

(a) and (b) According to reports received, the States of Arunachal Pradesh, Assam, Gujarat, Karnataka and Maharashtra were affected by heavy rains and floods during the current monsoon. The worst affected districts in these States are as follow:—

(i) Arunachal Pradesh	:	East Siang & West Siang.
(ii)AssamDhemaji, Lakhimpur, Barpeta, Sibsagar and Jorhat.		
(iii) Gujarat		Surat,Rajkot, Valsad, Junagadh& haruch
(iv) Kamataka		Bijapur, Chickma-galur, Dakshin, Kannada, Dharwar, Hassan, Kodagu, Mysore, Shimoga and Uttar Kannada.

† Q. No. 462 and Q. No. 464 clubbed together because both relates to the same subject 'flood'.

†The Question was actually asked in the floor of the House by Shri Rajubhai A. Parmar.

(v) Maharashtra Kolhapur, Satara, Bhandra and Nagpur

(c) The following loss of life, damage to cropped area and houses have so far been reported due to floods in the above States:—

Name of the State	Huma lives lost	Cropped area affected (in lakh ha.)	Houses Danage
Arunachal	10	—	—
Assam	3	0.25	700
Gujarat	189	2.01	83421
Kamataka	64	6.35	25117
Maharashtra	112	1.16	47323

(d) Under the existing scheme of financing relief expenditure, the State Government undertake relief and rehabiliation measures using the corpus of the Calamity Relief Fund (CRF), which is contributed by the Central and State Government in the ratio of 3:1. In addition to the normal release of the first and second instalments of Central share of CRF for the the year 1994-95, Government of India has also released the remaining two instalments in advance to Gujarat and Kamataka to enable the State Government undertake relief and rehabilitation measures in the flood affected areas. No request had been received from the other States for this purpose.

(e) Damage due to floods during monsoon of 1992 and 1993 in these States are as follows:—

Name of State	Loss of Human lives		Cropped area (affected in lakh		Houses	
	1992	1993	1992	1993	1992	1993
Arunachal	—	26	3.67	0.07	35	154
Assam	8	53	0.32	2.70	11875	22106
Gujarat	212	212	1.69	1.83	23045	7424
Maharashtra	—	73	—	0.14	—	3865

From 1990-91 Government of India contributes the following amounts annually towards the CRF:—

Name of State	Amoun (Rs. in)
Arunachal	1.50
Assam	22.50
Gujarat	63.75
Kamataka	20.25
Maharashtra	33.00

श्री सुरेश पचौरी: महोदया, माननीय मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि मध्य प्रदेश के बाढ़-प्रभावित क्षेत्रों के लिये मध्य प्रदेश सरकार ने 200 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता की मांग की है, लेकिन केन्द्रीय सहायता मात्र 13.875 करोड़ रुपये प्रदान की जा रही है। मांग 200 करोड़ रुपये की की गई है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा और केन्द्रीय सरकार के द्वारा, जिस केन्द्रीय सरकार ने स्वयं मध्य प्रदेश के माननीय मंत्री हैं, मात्र 13.875 करोड़ रुपये दिये जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश सरकार ने जो 200 करोड़ रुपये मांगे हैं, उन 200 करोड़ रुपये मांगे जाने के आंकलन का मापदंड क्या है? भारी वर्षा के कारण, बाढ़ के कारण न केवल लोगों की जानें गईं, पशु मारे गये, फसल नष्ट हुई बल्कि कई प्रकार की बीमारियां फैलीं, बांध नष्ट हुये, लोगों के बर्तन बह गये ....(व्यवधान)....

उपसभापति: कृपया सवाल पूछिए।

श्री सुरेश पचौरी: तो मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुये जो फाइनेंस कमीशन ने राशि निश्चित की है हर राज्य के लिये, क्या उसमें कोई परिवर्तन करेंगे? साथ ही जवाहर रोजगार योजना की हर राज्य के लिये जो अन-स्पेंट मनी है, जो मध्य प्रदेश में भी है, क्या उस पैसे को इस बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में ट्रांसफर करेंगे और साथ ही क्या कोई ऐसी स्थाई योजना बनाएंगे ताकि मध्य प्रदेश और अन्य प्रदेश बाढ़ की वजह से प्रभावित न हो पाएं?

श्री अरविन्द नेताम: उपसभापति महोदया, यह बात सही है कि मध्य प्रदेश शासन ने जो मेमोरेंडम पेश किया भारत सरकार को, उसमें 200 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति की बात कही है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि नवें फाइनेंस कमीशन ने जो नैचुरल केलामिटी रिलीफ फंड निर्धारित किया है, उसमें हमारी सीमाएं बांध दी है, उस

सीमा के तहत मध्य प्रदेश सरकार को 37 करोड रुपया सलाना मिलता है और हम उसी 37 करोड. रुपए में से ही मध्य प्रदेश सरकार को मदद कर सकते है और इस वर्ष जो क्षति हुई है उसमें हम लोगों ने जो चार किस्तें होती है, जो लास्ट दो किस्ते है, दोनों किस्त करीब–करीब 13.875 करोड. की, ये दोनों किस्तें एक साथ हमने रिलीज. की है। तो इस प्रकार जो हमारे पास केलामिटी रिलीफ फंड है, उसके तहत जो मदद करनी है, वह हमने की।

माननीय सदस्य ने यह बात ठीक कही कि जवाहर रोजगार योजना के तहत राज्य सरकार को भी कुछ मदद मिलती है और मैं बताना चाहूंगा, जो मेरे पास सूचना है अभी तक की, कि मध्य प्रदेश सरकार को 198.74 करोड. रुपए जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत उपलब्ध है, उसमें से अब तक 33.90 करोड़ मध्य प्रदेश सरकार ने खर्चा किया है। इसमें बहुत से ऐसे काम है जिसमें जवाहर रोजगार योजना के तहत लोगों को काम मिलता है और बाढ़ में अधिकतर जो क्षति होती है, सड़कों का जो निर्माण करना है, उसमें यह काम शामिल किए जा सकते हैं। मैं समझता हूं कि केन्द्रीय सरकार की तरफ से, विशेषकर रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से, कोई ऐसी मनाही नहीं होगी कि राज्य सरकार इन पैसों का उपयोग न कर सके।

उपसभापति: सैकिंड सप्लीमेंटरी।

श्री सुरेश पचौरी: महोदया, मैंने आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहा था कि जवाहर रोजगार योजना का जो अन–स्पेंट मनी है, क्या वह बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों के लिये लगाया जाएगा? क्या इस विषय में कृषि मंत्रालय ने ग्रामीण विकास मंत्रालय से चर्चा की है या निवेदन किया है, यदि किया है तो उनका उत्तर सकारात्मक है या नकारात्मक है? दूसरा, जिन राज्यों में बाढ़ या सूखा आने की संभावना रहती है, उनके लिये समय–समय पर केन्द्रीय सरकार के द्वारा जो समिति बनाई जाती है, वह पुनरीक्षा करती है, तो क्या बाढ़ से प्रभावित जो राज्य हैं, उनके संबंध में पहले कोई समीक्षा इस समिति के द्वारा की गई थी? यदि की गई थी तो मौसम विज्ञान की रिपोर्ट क्या थी, इस समिति की समीक्षा–रिपोर्ट क्या थी और उन रिपोर्ट्स को ध्यान में रखते हुये केन्द्रीय सरकार की तरफ से क्या प्रिकाशनरी मैजर्ज अपनाए गये, क्या कदम उठाए गये? यह मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा।

श्री अरविन्द नेताम: महोदया, समय–समय पर तय होता है, जो स्थिति बनती है बाढ़ से भारत सरकार और अन्य राज्यों के बीच में और उसी के तहत जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि जवाहर रोजगार योजना के बारे में भी कुछ चर्चा हुई, इस संबंध में भी चर्चा हुई। राज्य सरकारों को कहा गया कि जहां काम की आवश्यकता है, काम जरूर दें गांव वालों को, चाहे वह जिस किसी स्थिति में हो। उसमें कोई मनाही नहीं है। सड़कों को अगर क्षति पहुंची है तो ये जवाहर रोजगार योजना के तहत आता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है और अधिकतम रोजगार इन्हीं गांवों में उपलब्ध हो सकता है जो इस योजना के तहत है। जैसा कि वानिकी के संबंध में आपने कहा, इस संबंध में शुरू से ही मंत्रालय की तरफ से राज्य सरकारों को आगाह किया जाता रहा है और मौसम विभाग की तरफ से भी इसमें समय–समय पर सूचना मिलती रही है और सभी राज्य सरकारों से इस संबंध में चर्चा होती रहती है।

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have clubbed Q. Nos. 462 and 464 because both are on flood. Shri Rajubhai Parmar.

श्री राजू भाई परमार: उपसभापति महोदया, गुजरात एक प्रकार से कैलेमिटी स्टेट कहा जा सकता है। यहां पर हर साल सूखा आता है और इसके बाद बहुत व्यापक और तीव्र बाढ़ आती है। इस बार गुजरात में सूखे की वजह से 2419 गांव पीड़ित हुये और जहां करीबन 209 करोड़ रुपया सूखा पीड़ित लोगों के राहत कार्यों के लिये आवश्यकता थी, गुजरात सरकार ने केवल 135 करोड़ रुपये खर्च करके राज्य के उन कार्यों को पूरा किया। सूखे के बाद तुरंत बाढ़ आने से 189 लोगों की मृत्यु हुई और 11 लाख से ज्यादा परिवारों को बेघर होना पड़ा या स्थानांतरित होना पड़ा। बाढ़ पीड़ितों की राहत के लिये लगभग 148 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। इस प्रकार एक वर्ष में सूखा राहत और बाढ़ राहत संबंधी कार्यों के लिये 283 करोड़ रुपये से अधिक राशि की आवश्यकता है। इसके विपरित जो सेंट्रल कैलेमिटी फंड से राज्यों को धनराशि मिल रही है, गुजरात राज्य के लिये वह 85 करोड़ है।

महोदया, मैं यह जानना चाहता हूं कि जहां एक प्रकार से हर समय कोई न कोई व्यापक कैलेमिटी आती रहती है, ऐसी स्टेटों के लिये क्या विशेष राशि का प्रावधान करने के बारे में मंत्री महोदया सोच रहे हैं या नहीं, जो इस सेंट्रल रिलीफ फंड की सीमाओं के बाहर हो। महोदया, गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार के पास 100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि की मांग की है, इसके बारे में मंत्री महोदय क्या कुछ सोच रहे हैं?

श्री अरविंद नेताम: उपसभापति महोदया, यह बात सही है कि गुजरात राज्य इस बार पहले सूखे से पीड़ित रहा है और उसके बाद भारी वर्षा से पीड़ित हुआ है। मुझे भी वर्षा से पीड़ित क्षेत्र का दौरा करने का मौका मिला और मेरे वरिष्ठ मंत्री जी को सूखे की स्थिति का जायजा लेने का मौका मिला एक ही महीने में। यह बात सही है कि भारत सरकार के मेरे मंत्रालय की तरफ से, जैसा कि मैंने पूर्व में कहा है कि कैलेमिटी रिलीफ फंड की तरफ से जो मदद देने की व्यवस्था है, हमारी सीमाएं बंधी है। उस सीमा के बाहर मेरे मंत्रालय में ऐसा कोई फंड नहीं है जिससे हम

उस सीमा के बाहर जा सकें। नवें फाइनेंस कमीशन ने गुजरात के लिए जो सीमा तय की है वह 85 करोड़ तय की है और उसकी चारों किस्तें हमने रिलीज़ की हैं गुजरात के लिये। अब दसवां फाइनेंस कमीशन बैठा है। वे अपनी राज्य सरकार से कहें कि यह जो सीमा बांधी गई है नवें फाइनेंस कमीशन द्वारा, अगर वे इसमें कोई रद्दोबदल करना चाहें तो राज्य सरकार उनसे मिलकर परिवर्तन के लिये सुझाव दे।

उपसभापति: चूंकि मैंने दोनों क्वश्चिन क्लब करे हैं इसलिये अब आप सेकेंड सप्लीमेंटरी मत पूछिए।

श्री राजू भाई परमार: मैडम, मेरा क्वश्चिन छोटा सा है।

उपसभापति: अभी दूसरे भी गुजरात के लोग हैं, वह पूछेंगे।

श्री राजू भाई परमार: मैडम, गुजरात का नहीं है, जनरल है।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now let other people put questions. I have clubbed it and obliged you. Now let me go ahead with it. Shri Govindram Miri.

श्री गोविन्दराम मिरी: उपसभापति महोदया, मध्य प्रदेश इस देश का सबसे बड़ा प्रदेश है जहां आए दिन प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं और जिस अनुपात में वहां नुकसान हुआ है, क्या 37 करोड़ रुपये का जो अनुदान दिया गया है, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या उस नुकसान की भरपाई करने के लिये वह राशि पर्याप्त है?

दूसरे, केन्द्रीय सहायता देने का क्राईटेरिया क्या है? और इन्होंने जो यह कहा कि इनकी सीमा बांधी गई है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि और प्रांतों को केन्द्रीय बजट में जो रिलीफ फंड दिया जाता है वह कितना दिया गया है? उदारीकरण की नीति हम अपना रहे हैं। क्या अपनी सीमा को वह ढीला करके और राशि मध्य प्रदेश सरकार को उपलब्ध कराएंगे? 37 करोड़ रुपये तो ऊँट के मुंह में जीरा के समान है।

श्री अरविन्द नेताम: उपसभापति महोदया, पहले जैसा कि कहा है कि यह जो फार्मूला है, सभी राज्यों ने मिलकर के नवें फाइनेंस कमीशन के साथ बैठ करके तय किया है और विभिन्न राज्यों के साथ में अलग-अलग सीमा बांधी गई है, जैसा मध्य प्रदेश का 37 करोड़ है और अब ...(व्यवधान)

जो भी है हमने तो नहीं बांधा, यह तो नवें फाइनेंस कमीशन ने तथा राज्य सरकारों ने मिल कर के तय किया है। (व्यवधान) फाइनेंस कमीशन बैठी है। उसमें राज्य सरकारें चाहें तो इस मामले को रखें और उसमें जो परिवर्तन कराना है कराएं।

SHRI B.K. HARIPRASAD: Madam, the hon Minister has stated in this reply that in Kamataka 64 people lost their lives, 6.35 lakh hectares of crop area was affected and more than 25,000 houses were demaged. I would like to know from the hon. Minister whether the Kamataka Government made any request for Rs. 100 crores for relief work. I would also like to know whether the Central Government has released any money to Kamataka outside the Calamity Relief Fund.

SHRI ARVIND NETAM: Madam, as 1 said earlier, beyond the Calamity Relief Fund, we cannot give any money. Of course, from the Calamity Relief Fund we have released the third instalment of Rs. 5 crores to the Karnataka Government.

SHRI JAGESH DESAI: Madam, in Maharashtra, 112 people lost their lives and crops were demaged. In areas like Kolhapur, Satara, Bhandara and Nagpur it was a havoc. I have read the reply of the Minister. I am happy that he has released all the four instalments to Gujarat and Kamataka. I am very happy about it. The Minister in his reply said, "No request has been received from the other States for this purpose". I would like to know from the hon. Minister whether the Maharashtra Government has asked for Rs. 200 crores for relief work. I would also like to know whether the Government of India has sent any officials there to make a survey. Madam, Shri Govindrao Adik made a Special Mention in the House. He said, "Maharashtra Government has asked for Rs. 200 cror.es." I am surprised to see the reply of the hon. Minister where he said, "No request has been received from the other States for this purpose." Will the Minister enlighten us on this point? What are the real facts?

SHRI ARVIND NETAM: Madam, as far as Maharashtra is concerned, I would like to inform the House that Maharashtra has already exhausted its Calamity Relief Fund last year. *{Interruptions).* So, this year we have no money for Maharashtra.

THE DEPUTY CHAIRMAN: But that fund must be for the Latur earthquake.

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI B ALRAM JAKHAR): Madam, the thing is very simple. We are bound by certain criteria

laid down by (he Ninth Finance Commission. And that was imposed by the States themselves. They were so adament in their approach that they said, "Why should the Centre have any say in it? That money belongs to us and it should be handed over to us in four instalments." Now, this has become a stumbling block. 1 know all the States have asked for money including Maharashtra. They need it. I know that very well. But, there are certain rules and regulations which we cannot breach. 1 have put all the comments, recommendations and requests made by the States to them. That is why we had a full discussion on the flood situation not only in this House but also in Lok Sabha.

So, there are no questions to be asked or answers to be given. This is the problem ...*(Interruptions).*

SHRI JAGESH DESAI: Madam . ...*(Interruptions)*....

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Desai, let him finish.

SHRI BALRAM JAKHAR: I will try to do it. Any extra money will be released only when a national calamity is declared. So. far, after the 9th Finance Commission's report, no such calamity has been declared. Therefore, there is not question now. But we are trying to get some money so (hat we can help the States. 1 have asked the Prime Minister and the Finance Minister to have a relook into the matter. If it is considered favourably, we will do that.

श्री महेश्वर सिंह: उपसभापति महोदया, जहां इस प्रकार सारे देश में अधिक वर्षा से क्षति हुई है, वहां हिमाचल प्रदेश भी अछूता नहीं रहा है। उस छोटे से प्रांत में ही 140 लोगों की जानें गई है और कुल जो क्षति पहुंची है, वह ढाई सौ करोड़ से भी ज्यादा है और जैसा कि मंत्री महोदय ने यह कहा कि नवें वित्त आयोग की सिफारिशों के मुताबिक इसमें धनराशि दी जा रही है, उसके अंतर्गत हिमाचल को केवल बीस करोड़ दिया जाता है। अब बाकी का शेष 130 करोड़ हिमाचल प्रदेश कहां से लाए? आप जानते हैं कि वह आर्थिक स्थिति से बिल्कुल कमजोर प्रदेश है और पूरी तरह केन्द्र पर निर्भर है। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह बात जानना चाहूंगा कि जहां तक नवें वित्त आयोग की सिफारिश जो आई है, वह हिमाचल की सरकार को विश्वास में लेकर न उस वक्त आई थी, उस समय से लेकर हिमाचल प्रदेश की सरकारें आज तक उसका विरोध करती रही हैं।

मैं एक बात और जानना चाहूंगा कि मंत्री महोदय, जैसा आपने कहा कि नवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत यह पैसा दिया जाता है। इससे पूर्व यह प्रथा रही है कि जब भी इस प्रकार की कोई क्षति पहुंची है, केन्द्र ने यहां से जांच दल भेजे हैं। उनकी अनुशंसा पर धन दिया जाता था और आज के इस प्रश्न से यह सिद्ध हो गया है कि इस नवें वित्त आयोग की सिफारिशों से कोई भी प्रदेश संतुष्ट नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इस प्रथा को समाप्त करके क्या सरकार वह पुरानी प्रथा लागू करेगी कि जब भी कहीं प्राकृतिक आपदा आए तो केन्द्र के यहां से जांच दल जाए और उनकी अनुशंसा पर ही पैसा दिया जाए? अगर ऐसा करने जा रही है तो कब तक? यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

श्री बलराम जाखड़: मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं और आपके साथ पूरी सहानुभूति रखता हूं जो आप मेरे साथ रखते हैं और जो पीड़ित हैं, उनके साथ रखते हैं। मैं चाहता हूं , मैं स्वयं चाहता हूं क्योंकि जब मुझसे कहा जाता है कि आप देखने के लिए जाओ तो मैं क्या करूं? मुंह दिखाने के लिए जाऊं? मुझे शर्म आती है, सच्ची बात है। पहले ऐसा होता था कि जब आवश्यकता होती थी उतना दे दिया जाता था। मुझे याद है 87 में दिया, हमने करोड़ों रुपये एक स्टेट को दिया। सूखा पड़ा था राजस्थान में, दिया। लेकिन जब हाथ आपके बांधते हैं, ''पंखों से बांध दिए पत्थर'' वाली बात है तो उसके बाद क्या इलाज होगा? इसलिए मैं आपसे सहमत हूं कि इसको चेंज होना चाहिए और हमने अपनी तरफ से रिकमन्डेशन की है कि चेंज होना चाहिए लेकिन यह पत्थर स्वयं स्टेट्स ने अपने गले में बांधा था। अब उनको भी चाहिए कि वे इन पत्थरों से पीछा छुड़ा लें और हमारे भी हाथ खुल्ले कर दें जिससे हम आपके साथ मिल करके उन पीड़ितों की सहायता करें।

श्री महेश्वर सिंह: मैडम, मेरा प्रश्न था कि क्या सरकार आज फिर पुनर्विचार करके पुरानी प्रथा लागू करेगी?

उपसभापति: उन्होंने कहा ना।

श्री बलराम जाखड़: टैन्थ फाइनेंस कमीशन ही करेगा।

SHRI SARADA MOHANTY: Madam Deputy Chairman, Orissa is also affected by the floods. The Food Minister has assessed the situation and has submitted his report. We also submitted a representation to the Prime Minister which was forwarded to the hon. Agriculture Minister. I want to know from the hon. Agriculture Minister whether he is sanctioning any fund in addition to what was given under

the National Calamity Fund, to help the State of Orissa.

THE DEPUTY CHAIRMAN: He has already answered this question. Now, Shri Bhubancswar Kalita.

SHRI BHUBANESWAR KALITA: Madam, thank you very much for giving me this opportunity.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The same answer will be given if your question is also the same.

SHRI BHUBANESWAR KALITA: Madam, we thought, the people of Assam thought that floods were the monopoly of Assam and drought was the monopoly of Gujarat. But one can now see—I myself have seen the situation in Gujarat—that this time the thing is reversed. When we see the loss of property and human lives due to floods, Assam is in a worse position than Gujarat in regard to floods.

The situation has reversed in the sence that Assam now is not experiencing that much of rain and floods as it had been experiencing earlier ....*(Interruptions)*...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please, order in the House. If anybody wants to talk, he can go out into the lobby and *tsik....(Interruptions)*...

SHRI BHUBANESWAR KALITA: Many of the districts of Assam are experiencing drought situation. I want to know from the Minister whether the Government has made any assessment of the loss to crops in the drought-affected areas of Assam. It is a peculiar situation this time. Gujarat used to suffer from drought and Assam used to suffer from floods. But the situation has reversed. The situation in Assam has become very critical. So, I want to know from the Minister whether any assessment has been made of the loss to crops in Assam,

SHRI ARVIND NETAM: The hon. Member is right in saying that this year Assam has not received the normal rains as it had in the past. So, whatever the situation is, whenever we receive any information from the State Governments either about floods or about drought situation, we take action. As far as Assam is concerned, we have not received any report from the State Government about the present situation of drought. The moment we receive the report, we will certainly take action. SHRI BHUBANESWAR KALITA: Madam, 1 am raising this because we are from the districts and we know what the situation is. Those areas are affected with drought. I want to know whether on my information the Central Government will take action or not.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I think, I have to get every State to ask a question....*(Interruptions)* Let us take up Punjab ....*(Interruptions)*... and go to Bihar.. ..*(Interruptions)*....

श्री इकबाल सिंह: मैडम, आनरेबल मिनिस्टर साहब जाखड़ जी से बातचीत हुई थी और उन्होंने पंजाब का टूर लगाया खासतौर पर पटियाला डिस्ट्रिक्ट, फीरोजपुर, फरीदकोट एरिया में घूमे तब इतना नुकसान हो चुका था कि पटियाला की युनिविर्सिटी आपको पता है आधे से ज्यादा खत्म हो चुकी है। माननीय मंत्री जी ने कहा था कि अगर नेशनल कैलेमिटी में यह आ जाए तो हम इस की हैल्प कर सकते हैं। लेकिन लास्ट ईयर हैल्प नहीं हो सकी। इस साल फिर अभी सुबह की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार जलंधर डिस्ट्रिक्ट, कपूरथला में काफी नुकसान हो चुका है। अब सतलुज दरिया से नवांशहर में फ्लड से बहुत नुकसान हो चुका है। तो माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि आपने पंजाब को कैलेमिटी रिलीफ फंड में कितना पैसा अब तक दिया है, और कितने डिस्ट्रिक्ट को अब तक पंजाब में जा चुकी है रिलीफ का पैसा?

श्री बलराम जाखड़: जितना मांगा सरकार उतना देगी।..

श्री इकबाल सिंह: मैडम, मंत्री जी ने क्या कहा समझ में नहीं आया। .....(व्यवधान)

उपसभापति: उन्होंने कहा जितना मांगेंगे उतना देंगे .....(व्यवधान)

श्री अंनतराव देवसंकर दवे: महोदय, गुजरात के बारे में न ही पूछा ... (व्यवधान)

उपसभापति: बस हो गया। क्वैश्चन नंबर 463 .... (व्यवधान) आप लोग बैठ जाइए। यह कोई तरीका नहीं है। ....(व्यवधान) बीच में बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है....(व्यवधान)

गुजरात में मान्यता प्राप्त कालेज

***463. श्रीमती ठर्मिला चिमनभाई पटेल:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने चालू वर्ष में अब तक कितने